RAJYA SABHA

Friday, the 29th July, 1988/7th Sravana, 1910 (Saka)

The House met at eleven of the Clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और वृत्तिका की राशि का बढ़ाया जाना

*41. **श्री अजीत जोगी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्य वृद्धि की वर्तमान प्रवत्ति को देखते हुये, विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति तथा वृत्तिका की राशि अत्यधिक कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन राशियों को मूल्य सूचकांक से जोड़े जाने के सुझाव पर विचार करेगी ताकि छात्रवृत्ति की निर्धारित राशियां भी बढ़ते हुये मूल्यों के अनुरूप स्वत: ही बढ़ती जायें और इन वर्गों के छात्रों को अनावश्यक तकलीफ न उठानी पड़े ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न राज्य सरकारें छात्रवृत्ति की इतनी कम राशियों का वितरण भी अनेक महीनों के विलम्ब से करती हैं ; यदि हां, तो केंद्रीय सरकार इन छात्रवृत्तियों के समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा अस्वच्छ व्यवसायों में लगे ये व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों की दरों में अंतिम संशोधन क्रमश: 1981 और 1986-87 में किया गया था ।

(ख) उच्च स्तरीय पदाधिकारी समिति जिसका गठन योजना की समीक्षा करने के लिये किया गया था, की सिफारिशों की जांच योजना आयोग आदि के परामर्श से की गयी है । हमें आशा है कि संशोधित दरों की घोषणा अति शीघ्र कर दी जाएगी । यद्यपि छात्रवृत्ति की दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है, फिर भी बदलते हुये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर स्वत: संशोधन करना व्यवहार्य नहीं है ।

(ग) सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि को समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं । हाल ही में राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे संस्थाओं के अध्यक्षों को पर्याप्त धनराशि प्रदान करते हुये संस्थागत स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करें और ऐसी छात्रवृत्तियां प्रदान करन हेतु एक उपयुक्त समय अनुसूची का सख्ती से अनुपालन करें ।

श्री अजीत जोगी : मान्यवर, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसमें यह उल्लेख किया है कि छात्रवृत्ति और वृत्तिका का पुनरीक्षण अंतिम बार वर्ष 1986-87 में किया गया था । परन्तु जो दरें 86-87 में तय की गयी हैं उनको दखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि जो जमीन की हालत है और जो वास्तव में आज की मंहगाई है, उसको देखते हुये ये दरें 86-87 में ही तय की गयी हैं । मान्यवर, मैं बहुत से आंकड़े दे सकता हूं, किन्तु केवल एक ही उदाहरण देना चाहूंगा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज में जो स्टायपेंड दिया जा रहा है होस्टल में रहने वाले आदिवासी और हरिजन छात्रों को, वह 170 रुपये प्रतिमाह है । मान्यवर, मैंने भोपाल के मेडिकल

कालेज में चैक किया था। वहां मेडिकल कालेज के होस्टल का मेस बिल ही 300 से साढ तीन सौ रुपय प्रतिमाह है और हम उस छात्र को केवल 170 रुपये दे रहे हैं। उसके पास ऐसी हालत में केवल दो विकल्प हैं कि या तो वह अपने हास्टल में न रहे या भूखा रहे या कही बाहर रहकर ही अपना भोजन पकाये। तभी वह 170 रुपय प्रतिमाह में इस व्यावसायिक शिक्षा को पूर्ण कर सकता है। ऐसी ही हालत प्रि-मैट्रिक स्कालरशिप की है, तो मैं आपके माध्यम से यह पंछना चाहूंगा कि यह जो पुनरीक्षण 86-87 में किया गया है, यह ऐसे लोगों के द्वारा किया गया है, संभवत: ऐसे नौकरशाहों द्वारा किया गया है जिनको जमीन की हालत का वास्तव मे पता नहीं है। कीमतों का ज्ञान नहीं था। तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह पुनरीक्षण आप शीघ्रातिशीघ्र करके कम से कम आप इतनी स्कालरशिप और स्टाइफंड तो इन बच्चों को दें कि वे अपने मेस का बिल तो उनसे दे सकें।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : माननीय सभापति जी, 1987 मैं जो पुनरीक्षण हुआ वह मैंने जैसे क्वेश्चन में कहा है कि यह अनक्लीन आकुपेयन वालों का था जो कि 200 प्रतिमाह और चाइलड 6 से 8 और 9 से 10,250 पर-मन्थ बनाया गया लेकिन 1981 का मैंने कहा वह पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप मैडिकल इंजीनियरिंग ए ग्रुप, बी ए० इन लोगों के लिये है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सरमत हूं कि प्राइसेज बढ़ गये हैं और खर्चे भी इस तरह से होस्टलज में बढ़ते हैं और साथ ही साथ विद्यार्थियों को इससे तकलीफ होती है। सरकार इससे पूरी तरह अवगत है और हम पूरी तरह से इनसे सहानुभूति भी रखते हैं। इस लिये पिछले वर्ष हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से एक हाई पावर कमेटी हमारे अधिकारियों की बनायी गयी थी और जिन्होंने पूरी तरह डिटेल मैं जाकर के इसको देखा हर पवाइंट आफ व्यू से और किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है और इसको बढ़ाने के लिये हमने आगे, जैसा कहा है कि बातचीत की है क्योंकि इसमें जो फाइनेंस इन्वाल्व होता है वह प्लानिंग मैं जाता है फाइनेंस को फिर केबिनट से और तब करते हैं। इसको हमारी मिनिस्ट्री वर्क आउट करके काम कर रही हैं और जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है जैसे ही यह निर्णय फाइनल हो जायेगा हम इसको एनाउन्स कर सकेंगे। इतना मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जो कठिनाइया आज हमारे हरिजन छात्रों के लिये, आदिवासी छात्रों के सामने हैं उसको पूरी तरह से ध्यान में रखकर बहुत जल्दी ही इस पर हम निश्चित

श्री अजीत जोगी : कोई निश्चित समय बता दें मंत्री जी तो...

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना कम समय लिया जा सकता है और इस अकाडमिक यीअर में ही इसका लाभ विधार्थियों को हो सके।

श्री अजीत जोगी : मान्यवर, मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार की पूरी सहानुभूति सर्वहारा वर्ग के प्रति है, हम इससे सहमत हैं पर मैं यही कहना चाहूंगा कि सहानुभति इससे परिक्षित नहीं होती कि वर्ष 1981 में हमने यह दरें तय की थी और आज 1988 में हैं इतनी मंहगाई बढ़ने के बाद भी उसे पुनरीक्षित नहीं किया है। इसी प्रकार के संदर्भ में जहां मंत्री महोदय ने यह कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मे छात्र और शिष्यवृत्ति को नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि यह व्यावहारिक नही है, मैं यह पूछना चाहूंगा कि जब हम अपने लाखों करोड़ों शासकीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ सकते हैं और प्रतिवर्ष उसे पुनरीक्षण कर सकते तो ये जो आदिवासी और हरिजन छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति को क्यों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से नहीं जोड़ा जा सकता और क्या अड़चन है कि जब शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये तो यह बात व्यावहारिक मानी जा रही है पर इन चन्द कुछ ही लाख छात्र-छात्राओं के लिये जो आदिवासी हरिजन वर्ग के हैं इस बात को व्यावहारिक नहीं माना जा रहा है? इसे क्या मंत्री महोदया समझाने का कष्ट करेंगी।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : माननीय सभापति जी, जहां तक सवाल स्कालर-

शिप का है वह कोई रेमूनिरेशन नहीं होता है, यह असिस्टेंस होता है। हमारे विद्यार्थी पढ़ सकें इसके लिये उन्हें विशेष सहायता के रूप में स्कालरशिप दी जाती है। जैसा आपको विदित है हमारे जो हरिजन और आदिवासी छात्र हैं उनकी पूरी फीस जो नान-रिफन्डेबल जितना भी एमाउन्ट होता है कालेज में, यूनिवर्सिटीज में मैडिकल कालेज में तो उसके लिये गवर्नमेंट उनको पूरी सहायता देती है और उसकी रिअम्बर्श करती है...

श्री अजीत जोगी : आप इसे एमिस्ट करें पर समय-समय पर इसे बढ़ाना तो चाहिये।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : इस लिये उसको समय-समय पर रिवाइज्ड किया जाता है और इसका ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से कीमतें बढ़ रहीं हैं और इस तरह से उसका एक वर्केबल तरीका निकाला जा सकता है। एकदम जो प्राइस राइज होता है उसको नजरअन्दाज नहीं किया जाता है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए यह जो रिपोर्ट है हाई लेबल कमेटी की पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप स्कीम फार स्डूल्ड कास्ट्स की इसके आधार पर हमने रिकमंडेशन प्लानिंग कमीशन को भेजी है और केबिनेट को भी जायेगी, उसमें इन सब का ध्यान रखा जायेगा। हम इसको आटोमेटिक कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स के साथ नहीं जोड़ सकते।

श्री राम अवधेश सिंह : क्या बाधा है?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : बाधा का सवाल नहीं है। हर एक प्राबलम को हर एक दृष्टि से देखना पड़ेगा तनख्वाह देना या डी०ए० देना सम्भव नहीं है क्योंकि यह न तो तनख्वाह है न डी० ए० है यह तो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये सहूलियत है।...

श्री राम अवधेश सिंह : यह वैल्फेयर स्टेट है

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : वैल्फेयर स्टेट में ही यह किया गया है। यह स्टेटिक नहीं है, जो बीस साल पहले था वह आज नहीं है, हमेशा इसको रिवाइज करते हैं। हो सकता है आगे कभी ज्यादा हो, कभी कम हो लेकिन विद्यार्थियों को सहायता हम देते जायेंगे।

श्री अजीत जोगी : मान्यवर, मैंने विशिष्ट बात पूछी थी कि कर्मचारियों के लिये डी० ए० बढ़ाया जा सकता है तो छात्रों के लिये क्यों नहीं बढ़ाया जाता ?

श्री सभापति : उन्होंने इसका जवाब दिया है...

श्री सुशील बरोंगपा : माननीय सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि स्टाइफंड के लिये तो इनकम सीलिंग लगाई जाती है, उसको समाप्त करने के लिये क्या सरकार विचार कर रही है ?

दूसरा, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकारों को एक समान इनकम सीलिंग करने के आदेश दिये हैं ? अगर ऐसा है तो हिमाचल प्रदेश में यह 7500 रु. है और मध्य प्रदेश में 12,000 रु. प्रतिवर्ष क्यों है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : अभी तक इनकम सीलिंग एक ही लागू की गयी है और जो इनकम सीलिंग है उसको बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : वे पूछ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में यह 7500 और मध्य प्रदेश में 12000 क्यों है।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : हम कह रहे हैं कि अंतर करने की बात नहीं है, यह जो इनकम सीलिंग हैं उसमें एकरूपता होगी, उसको अलग-अलग करने की बात नहीं है। अभी वह 12 हजार है, हो सकता है उसको और ज्यादा करें। उस लिये हमने प्रयत्न भी किया है प्रपोजल भी रखा है और बढ़ा भी सकेंगे।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Question No. 44. *(Interruptions)*

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, this is the tragedy of Harvard-educated people.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: There are also other Harvard-educated people like you and Mr. Chidambaram. He is insulting all of us together. Sir, you also went to Harvard for one year.

First of all, I apologise for this slip. I was absorbed in smoe discussion. I know that we are on Question No. 41. (*Interruptions*) I ask only short supplementary questions unlike the Congressmen who ask long supplementary questions. The question I want to ask is this. Has the Ministry analysed as to which portion of these scholarships is ultimately going to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes? According to the Associations of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, bulk of these scholarships go to a very small section of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The scholarships are not available and eevn the knowledge that these scholarships are for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes communities is not available.

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI: Sir, this is not a new scheme. This has continued from 1944 or 1945 onwards and so everybody knows and it is actually disbursed to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students and ther is no question that nobody is knowing it.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Deshmukh.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: Sir, it is obvious and evident that the assistance given to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is very much low and with that they cannot even prosecute their studies. May I know from the honourable Minister what recommendations have been made by the Government to the Planning Commission categorically and whether, taking into account the last four or five years' rise in prices, they have recommended that the scholarship amount should be increased accordingly?

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI: When we have recommended to the Planning Commission and the Finance Ministry, we have taken into account all these things, the price rise in these four or five years and the other things also.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: What recommendations have been made?

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI: At this stage, when the Cabinet has not cleared it, I am not in a position to disclose our recommendations.

SHRI SHANKARRO NARAYANRAO DESHMUKH: What is the good of it?

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Ram Awadhesh Singh.

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, यह जो सवाल उठाया गया है असल में इस विषय पर इस सदन में डिबेट होनी चाहिये ।

श्री सभापति : आप प्रश्न करिये ।

श्री राम अवधेश सिंह : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । जिस ढंग से इसका हलके ढंग से मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि 1982 में रिवीजन किया गया पोस्ट मैट्रिक क्लास के आदिवासियों और हरिजन लड़कों का, इसका मतलब यह है कि यह सरकार हरिजन और आदिवासी लोगों की समस्या को गंभीरता से लेती नहीं ।

श्री सभापति : आप प्रश्न कीजिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : हमें एक-दो लाइन बोलने दीजिए । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन को किन परिस्थितियों ने रोका ? लगातार सात साल तक मैट्रिक से ऊपर जो मेडिकल में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं जो बुनियादी तौर पर विकास के बाहर हैं इनको आगे बढ़ाने में जो जरूरी सहायता होनी चाहिये उनको रोका ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : इन्होंने क्या प्रश्न किया ? इन्होंने बात कही है ।

श्री राम अवधेश सिंह : इसी प्रश्न का खंड दो यह है...

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : आप जानते हैं इस पर डिबेट होने वाली है।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि साधारण बात है एक प्री-मेडीकल या इंजीनियरिंग के बच्चे को कितना पैसा चाहिये ? इनको पता होगा इन पर कितना खर्च होगा । अगल-बगल में पढ़ने पर बच्चे पर कितना खर्च होगा इनको मालूम होगा । ये तीन प्वाइंट हैं । आपको किस ताकत ने रोका, आप ने सात साल तक पोस्ट मेट्रिक बच्चों को जो स्टीपेंड दिया जाता है उसका रिवीजन नहीं किया । आप किस युद्ध में फंसे हुये हैं ?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : किसी ताकत के रोकने का सवाल नहीं है । सरकार अपने हिसाब से काम करती रहती है । हमारी वैलफेयर मिनिस्ट्री 25 सितम्बर, 1985 को बनायी गयी और हमने यह जो कमेटी बनायी...

श्री राम अवधेश सिंह : सात साल तक सरकार क्या करती रही है जो वैलफेयर स्टेट कहलाती है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : जब हमारे सामने यह सवाल आया तो हमने 86 में ही इसके लिये कमेटी बना दी और गंभीरता से सरकार ने इसको लिया । क्योंकि हमारा यह आब्जेक्टिव है हमारे हरिजन और आदिवासी बच्चों को हम पढ़ाई के लिये उठायें और उन्हें सहूलियतें दें । उनकी कठिनाइयों को दूर करें । इसलिये सरकार खुद चाहती है इस काम को गम्भीरता से करे । सात साल का सवाल नहीं है दो साल के अंदर ही हमने यह सारा करके कमेटी की रिपोर्ट देख कर फाइनल एक्सैप्टेंस के लिये भेजा हुआ है । इसमें कोई सात साल का सवाल हमारे सामने आता नहीं है । किसी के रोकने का सवाल नहीं है ।

कुमारी सईदा खातून : सभापति जी, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विभिन्न राज्य सरकारें छात्रवृत्ति की इतनी कम राशियों का वितरण भी अनेक महीनों के विलम्ब से करती हैं । मैं यह जानना चाहती हूं कि वे कौन-कौन से राज्य हैं जहां पर कम छात्रवृत्ति दी जाती है और मेट्रिक के पूर्व जो बेसिक क्लासेज होती हैं, प्राइमरी और मिडल क्लासेज होती हैं उनमें छात्रवृत्ति सही ढंग से दी जाती है या नहीं दी जाती है ? वे राज्य कौन से है जहां पर कम राशि दी जाती है। उनमें से क्या मध्य प्रदेश भी ऐसा राज्य है जहां पर कम राशि दी जाती है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : सभापति जी, मध्य प्रदेश और गुजरात में चैक सिस्टम से छात्रवृत्ति दी जा रही है । ये दो स्टेट्स हैं जहां पर ठीक से दिये जा रहे हैं। बाकी स्टेट्स ने भी जिनमें 6-7 स्टेट्स हैं, हमने पिछले साल जो गाइडलाइन्स भेजी हैं और यह कहा है कि इसमें देरी नहीं होनी चाहिये । और वे फर्स्ट इंस्टालमेंट और सेकेण्ड इंस्टालमेंट समय पर दें । इसके लिये हमने जो गाइडलाइंस भेजी हैं उसमें हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आठ स्टेट्स ने उसके हिसाब से देना इस वर्ष से आरम्भ कर दिया है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : सभापति जी, आप इस पर आधे घंटे की चर्चा कराइये।

श्री राम अवधेश सिंह : यह सरकार का फेल्योर रहा है । यह सरकार सात साल तक क्या करती रही ? इस पर तीन घंटे की चर्चा होनी चाहिये... **(व्यवधान)** ।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : आपके चिल्लाने से नहीं होगा ... **(व्यवधान)** ।

डा० जगन्नाथ मिश्र : श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है ... **(व्यवधान)** ।

श्री सभापति : आप तो पुराने आदमी हैं, आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री राम अवधेश सिंह : इस पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री सभापति : जब मसला आयेगा तो उसको देखलेंगे ।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : इलेक्शन में आप इसको उठायेंगे तो उस वक्त हम इसका जवाब दे देंगे ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इलाहाबाद में आप गयी थी, इलाहाबाद ने आपको जवाब दे दिया है... **(व्यवधान)**

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : इलेक्शन में तो आपने रिपोर्ट की है.... **(व्यवधान)** ।

श्री सभापति : आप किस चक्कर में पड़ गई ? आप सब बैठ जाइये ।

Import of hot rolled coils

*42. SHRI SUNIL BASU RAY:†
SHRI MOHAMMAD AMIN:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Steel Authority of India proposes to import 3.8 lakh tonnes of hot rolled coils during 1988-89; and

(b) if so, what are the countries from where it is expected to be imported?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) SAIL does not propose to import 3.8 lakh tonnes of Hot Rolled Coils during 1988-89. However, the actual import by SAIL during 1988-89 will depend upon the demand registered by consumers and the levels of indigenous production. The countries from where the material will be imported will depend upon competitiveness of offers of foreign suppliers.

SHRI SUNIL BASU RAY: Mr. Chairman, Sir, the reply given by the Minister is evasive and vague. However, he has admitted that this will depend on the demand. Now, my question is about the guidelines for imports. Why is it necessary to import steel when our capacity is underutilized? Are not such imports making our economy dependent on the developed capitalist countries who themselves are in a deep crisis? Is this a part of the import liberalisation policy of the Government? As we think, in the past two years, both in terms of the volume and value, and in terms of the percentage of total imports, steel import is going up. It is definitely hampering the growth of steel industry in this country. Is the Government taking all possible steps to stabilise and to build up our own self-reliant steel industry? I want to know this from the Minister.

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: I am very thankful to the hon. Member for giving some guidance about the imports. I may only tell him that even the U.S.S.R. which produces about 102 millions tonnes of steel is importing 3 million tonnes of steel every year from other countries. Importing steel or any other thing does not mean that we are not self-reliant or that we are not self-sufficient. The Hon'ble Member has asked me what we are doing to increase the steel production. I may tell him that we are modernising the existing steel plants and we are making very heavy investments in steel. So far as increase in the production of steel is concerned, I am happy to inform the hon. Member that during the first quarter of this year, there has been an increase of 20 per cent in steel production as compared to the corresponding period last year.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sunil Basu Ray.